(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सूचित किया गया है कि बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को पहले ही ऋण दस्तावेज में इस आशय का एक उपयुक्त खण्ड शामिल करने को कहा है कि ऋण-कर्ता को ऋण की राशि या उसके किसी भाग को मंजूर किये गये प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग करना वर्जित है। यदि बैंक को इस बारे में आशंका हो अथवा यह विश्वास हो जाता है कि ऋणकर्ता इस शर्त का उल्लघंन कर रहा है तो बैंक को ऋण की राशि अथवा उसके किसी भाग को तुरन्त वापिस मांगने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस अनिवार्य अपेक्षा पर बल देते हुए यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किये हैं कि नकद ऋण खातों से आहरणों के संबंध में धनराशियों के अन्तिम उपयोग को सुनिश्चित करें ताकि कार्यशील पूंजी निधियों को अन्य प्रकार के निवेशों से अथवा सट्टे संबंधी प्रयोजनों से बचाया जा सके और दुर्लभ धनराशियों को अन्यथा इस्तेमाल से रोका जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे गम्भीरता से लिया है और धनराशियों के अन्य प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल के सभी मामलों का अवरोध किया है। बैंकों को अवज्ञा करने वाले ऋणकर्ताओं के अवरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिये कहा गया है।

बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा निर्यात वायदों का पूरा न किया जाना

1044. **श्री अजीत जोगी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े औद्योगिक घराने अपने निर्यात वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके निर्यात वायदों का वर्षवार कितना-कितना प्रतिशत पूरा किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कतिपय निर्यात-गृहों को पारेषण के जहाज में लदान-पूर्व निरीक्षण से छूट का दिया जाना

1045. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यया, चालू वर्ष के दौरान कुछ निर्यात गृहों को माल के जहाज में लदान पूर्व निरीक्षण से छूट दी गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी छूट दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप घटिया सामान का निर्यात होने लगा है जिससे देश की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त चोटी के व्यापार घरानों, व्यापार घरानों तथा निर्यात सदनों को यह बात ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग उत्पादों तथा फुट वियर और फुट वियर संघटकों के अनिवार्य लदानपूर्व निरीक्षण से छूट दी गई है कि उन्होंने विदेश के बाजारों में अपनी विश्वसनीयता प्राप्त कर ली है। दिनांक 6-10-1990 और 19-10-90 की अधिसूचनाएं विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं।